

11/34

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।

क्रमांक एफ-4/मु/याता/लेखा(07)/2021/1127

दिनांक :- 26-03-2021

कार्यालय-आदेश

आदेश क्रमांक एफ-4/मु/याता/लेखा (07)/2021/1022 दिनांक 1.1.2021 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के द्वारा दिनांक 05.06.2020 को पुलिस विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में की गई घोषणा के क्रम में पुलिस कान्सटेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कर्मियों को निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में (राज्य सीमा में) यात्रा सुविधा दिनांक 01.01.2021 से दी जा रही है ।

यात्रा सुविधा (दिनांक 31.03.2021 तक अथवा RFID कार्ड बनने तक जो भी पहले हो) पुलिसकर्मियों को विभाग द्वारा जारी आई.डी. कार्ड के आधार पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त सुविधा को दिनांक 31.5.2021 तक वृद्धिकृत किया जाता है । RFID कार्ड बनने के पश्चात उक्त सुविधा केवल RFID कार्ड के माध्यम से ही देय होगी । परिचालक उद्यतानुसार ई.टी.आई.एम मशीन से यात्रा करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को आवश्यक रूप से टिकिट जारी करेंगे ।

उक्त आदेश सक्षम स्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं ।

(11)
(लोकेश कुमार सहल)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु/याता/लेखा(07)/2021/1127

दिनांक :- 26-03-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
2. महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण राजस्थान जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर ।
5. समस्त महा प्रबन्धक, / संयुक्त महा प्रबन्धक () राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
6. निगम सचिव रा0 परि0 निगम मु0 जयपुर।
7. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी / वजेट / टिकिट / अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0, मु0 जयपुर
8. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवम् तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे ।
9. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम,.....
10. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसम्पर्क) / संचालन / () स.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
11. सहा0 लेखाधिकारी, (टिकिट / अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
12. मुख्य प्रबन्धक, स.प.नि. आगार ।
13. आदेश पत्रावली

(11)
(लोकेश कुमार सहल)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)